

**NORTH CENTRAL RAILWAY**  
**RAILWAY RECRUITMENT CELL**

**Provisional Replacement Panel after 10<sup>th</sup> DV**  
**for the Post of Level-1 (7<sup>th</sup> CPC) against CEN No. – RRC-01/2019**

**LIST OF CANDIDATES ROLL No. (TOTAL-27)**

केन्द्रीयकृत रोजगार सूचना सं. (आरआरसी) 01/2019, के तहत लेवल-1 के पदों पर भर्ती हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित किये गये कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों एवं दिनांक 16.01.2023 से 02.02.2023 तक आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन-सह अभ्यर्थिता जाँच के उपरान्त निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अनन्तिम (प्रोविजनली) रूप से एवं मंडल यूनिट द्वारा मांगे गये प्रतिस्थापना पैनल के आधार पर अनन्तिम रूप से चयनित कर पार्ट पैनल पर रखा गया है :-

<b>AGRA (14)</b>					
Roll No.	Roll No.	Roll No.	Roll No.	Roll No.	Roll No.
134194120611710	134194190673719	134194190258043	134194190268195	134193120011578	134195130551624
134194260611102	134194190410245	134194130275964	134192130047555	134193170162691	134195190564328
134194190666901	134194190413223				
<b>BRIDGE LINE (03)</b>					
Roll No.	Roll No.	Roll No.			
134192190199123	134192190319039	134195130529273			
<b>JHANSI (04)</b>					
Roll No.	Roll No.	Roll No.	Roll No.		
134194130615828	134194190254510	134195130550427	134195190556743		
<b>PRAYAGRAJ (06)</b>					
Roll No.	Roll No.	Roll No.	Roll No.	Roll No.	Roll No.
134194260232019	134194190384284	134194190329514	134192130504712	134193190498641	134195190114719

**नोट:-**

1. रोल नं. 134194190607717 के अभ्यर्थी को मेडिकल जाँच के उपरान्त *Temporary Unfit* किए जाने से प्रोविजनल पैनल पर नहीं रखा गया है।
2. उपरोक्त परिणाम माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरणों में दिए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
3. परिणाम तैयार करने में उचित सावधानी बरती गई है, फिर भी आरआरसी/ एनसीआर/ प्रयागराज के पास अनन्तिम रूप से घोषित पैनल में किसी भी बाद के चरण में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि किसी भी स्तर पर आरआरसी/ एनसीआर/ प्रयागराज या प्रशासन के संज्ञान में कोई अनियमितता या कदाचार आता है, तो आरआरसी/ एनसीआर/ प्रयागराज को किसी भी उम्मीदवार को अनुपयुक्त घोषित करने और अधिसूचित पैनल से उसका नाम हटाने का अधिकार सुरक्षित है। इस मामले में आरआरसी/ एनसीआर/ प्रयागराज का निर्णय अंतिम होगा।
4. यह केवल अनन्तिम पैनल है और इससे उम्मीदवारों को रेलवे सेवा में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
5. उपरोक्त परिणाम को तैयार करने में पूर्ण सावधानी रखी गयी है, किंतु लिपिकीय त्रुटि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। रेल भर्ती प्रकोष्ठ, प्रयागराज इसे सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

दिनांक 30.04.2026

**अध्यक्ष**  
रेल भर्ती प्रकोष्ठ, प्रयागराज

**सावधान:-** उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वो ऐसे असंबैधानिक तत्वों के चक्कर में ना पड़ें जो लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर पैसे लेकर नोकरी दिलाने का झूठा वादा करते हैं। भर्ती पूर्णतः योग्यता के आधार पर की जाती है तथा केवल योग्य एवं वास्तविक उम्मीदवारों को ही पैनल में शामिल किया जाता है।